जल जीवन मिशन–"हर घर नल से जल योजना" कार्यक्रम अन्तर्गत दिनांक 26.06.2024 को जिलाधिकारी महोदय, बलिया की अध्यक्षता में जनपद–बलिया में ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के निर्माण एवं अनुश्रवण हेतु नामित सम्बन्धित एजेन्सियों के कार्यों की प्रगति समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

जल जीवन मिशन–"हर घर नल से जल योजना" कार्यक्रम अन्तर्गत दिनांक 26.06.2024 को जिलाधिकारी महोदय, बलिया की अध्यक्षता में जनपद–बलिया में ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के निर्माण एवं अनुश्रवण हेतु नामित सम्बन्धित एजेन्सियों के कार्यों की प्रगति समीक्षा हेतु कलेक्ट्रट सभागार में बैठक आयोजित की गई। जिसमें समिति के निम्नलिखित अधिकारियों एवं नामित एजेन्सी के प्रतिनिधि द्वारा प्रतिभाग किया गया।

1. मुख्य विकास अधिकारी, बलिया।
2. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बलिया।
3. डी0पी0एम0 कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बलिया।
4. प्रतिनिधि प्रभागीय वनाधिकारी, बलिया।
5. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), बलिया।
6. अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड–प्रथम, बलिया।
7. अधिशासी अभियन्ता भूगर्भ जल विभाग, बलिया।
8. जिला सूचना एवं सम्पर्क अधिकारी, बलिया।
9. सहायक अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), बलिया।
10. जिला समन्वयक, जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई, बलिया।
11. टीम लीडर, मेसर्स मेधज लि, (टी.पी.आई.)।
12. समस्त संस्था प्रमुख इम्पलीमेंटेशन सपोर्ट एजेन्सीज़।
13. टीम लीडर, मेसर्स प्योर लाइफ, बलिया।
14. टीम लीडर, स्वजन फाउण्डेशन, बलिया।

सदस्य सचिव/अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि, जनपद बलिया में जल जीवन मिशन कार्यक्रम अन्तर्गत सतही स्रोत आधारित पाइप पेयजल योजनाओं के निर्माण की कार्यवाही प्रगति, इम्पलीमेंटेशन सपोर्ट एजेन्सी के कार्यो की प्रगति, थर्ड पार्टी इन्सपेक्शन हेतु नामित मेधज लिमिटेड के कार्यो की प्रगति, पेयजल योजनाओं के हितग्रहियों के प्रशिक्षण हेतु चयनित संस्था मेसर्स स्वजन फाउण्डेशन के कार्यो की प्रगति, पेयजल से सम्बन्धित आई0ई0सी0 एक्टीविटी हेतु चयनित संस्था मेसर्स प्योर लाइफ एंव पूर्व निर्माणधीन परियोजनाओं में विद्युत संयोजन के कार्यो की प्रगति, द्वारा कराये जा रहे कार्यों की प्रगति समीक्षा हेतु दिनांक 26.06.2024 को जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में बैठक आहूत की गयी। समीक्षा बैठक में सम्बन्धित फर्म एवं समस्त संस्थाओं द्वारा कराये जा रहे कार्यों की स्थिति निम्नवत हैं–

1. सतही आधारित पाइप पेयजल योजनाओं के निर्माण की कार्यवाही प्रगति :–

सदस्य सचिव/अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि, जनपद बलिया में जल जीवन मिशन कार्यक्रम अन्तर्गत जनपद के समस्त 17 विकास खण्डोंये में 03 नग सतही स्रोत आधारित पेयजल योजनाओं क्रमशः बेलहरी, हनुमानगंज एवं मनियर पाइप पेयजल योजना का निर्माण फर्म मेसर्स ईगल इन्फ्रा इण्डिया लिमिटेड जे0वी0 मेसर्स सुधाकरा द्वारा विकास खण्ड– मुरली छपरा, बैरिया, बेलहरी, रेवती एवं बांसडीह, फर्म मेसर्स लारसेन एण्ड टूब्रो द्वारा विकास खण्ड–दुबहड, हनुमानगंज, बेरूआरवारी, गडवार, सोहॉव, चिलकहर एवं रसडा एवं फर्म मेसर्स गाजा जे0वी0 जी0ए0 इन्फ्रा द्वारा विकास खण्ड–मनियर, पन्दह, नवानगर, नगरा एवं सीयर में योजनाओं के कार्य कराया जा रहा है। योजनाओं अन्तर्गत प्रस्तावित इण्टेकवेल, डब्ल्यू0टी0पी0 की भूमि की क्रय की कार्यवाही लगभग पूर्ण की जा चुकी है। योजनाओं कें मुख्य कार्यो यथा 3 नग इण्टेकवेल, 3 नग डब्ल्यू0टी0पी0, 9 नग सी0डब्ल्यू0आर0, 315 नग अवर जलाशय, 11928 कि0मी0 वितरण प्रणाली, 352979 गृह संयोजन एंव अन्य कार्यो के सापेक्ष समस्त कार्य प्रगति पर है। अधिशासी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि

Scanned with OKEN Scanner

विभिन्न विभागों से अपेक्षित अनापत्ति की कार्यवाही मे रेलवे/नेशनल हाइवे/नेशनल हाइवे(लो0नि0वि0) की कार्यावाही संबंधित विभाग स्तर पर अंतिम चरण में है एंव जनपद स्तर से मात्र सिचाई विभाग एंव वन विभाग की कार्यवाही किया जाना शेष है जिस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि सतही आधारित पाइप पेयजल योजनाओं के निर्माण शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुसार किया जाना है अतः संबंधित विभाग समय से आवश्यक अनापत्ति की कार्यवाही पूर्ण करायें।

कार्यवाही– अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण)/समस्त कार्यदायी फर्म/संबंधित विभाग।

2. आई0एस0ए0 द्वारा कराये जा रहे कार्यों की स्थिति :–

सदस्य सचिव/अधिशासी अभियन्ता उ0प्र0 जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम अन्तर्गत ''हर घर नल से जल'' उपलब्ध कराने हेतु जनपद की ग्राम पंचायतों में पेयजल योजनाओं के दृष्टिगत जन जागरूकता, सामुदायिक भागीदारी, नियोजन, गुणता नियंत्रण एवं संचालन अनुरक्षण प्रबन्धन इत्यादि कार्यो के लिए नामित 05 इम्पलीमेन्टेंशन सपोर्ट एजेन्सीयों को मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय के माध्यम से 40 अथवा 40 से कम ग्राम पंचायतों के प्रति कलस्टर अनुसार 24 कलस्टर आवंटन की कार्यवाही पूर्व में करायी जा चुकी है। अधिशासी अभियन्ता जल निगम द्वारा अवगत कराया कि इम्पलीमेन्टेंशन सपोर्ट एजेन्सीयों के आर0एफ0पी0 के अनुसार प्रत्येक कलस्टर की समस्त ग्राम पंचायतों में 03 फेज क्रमशः प्लानिंग एवं मोवलाइजेशन, इम्पलीमेन्टेंशन फेज एवं पोस्ट इम्पलीमेन्टेंशन फेज अन्तर्गत निर्धारित गतिविधियाँ की जानी है जिसके क्रम में आई0एस0ए0 संस्थाओं द्वारा समस्त आवंटित कलस्टरों में प्लानिंग एवं मोवलाइजेशन के कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं। जिसमे 09 कलस्टर के बीजक भुगतान की कार्यवाही पूर्व में करायी जा चुकी है, 09 कलस्टर में पत्रावली संस्था द्वारा प्रस्तुत की गयी है जिसमें 04 पत्राावलियां पूर्व बैठक में अनुमोदित हैं एंव 05 पत्राावलियां आज की बैठक में महांदय के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है। शेष 06 कलस्टर में 02 संस्थाओं द्वारा बीजक भुगतान हेतु पत्रावली अभी तक प्रस्तुत नहीं की गयी है। सदस्य सचिव द्वारा भुगतान हेतु प्रस्तुत 05 कलस्टर की पत्रावली अन्तर्गत प्लानिंग एवं मोवलाइजेशन फेज के किये गये कार्यो से समिति को अवगत कराया गया, प्रस्तुत भुगतान के सापेक्ष भैतिक प्रगति एंव दर RFP के Schedule of payment में स्वीकृति दर के अनुरूप है जिसका परीक्षण डी0पी0एम0यू0 कार्यालय एंव खण्ड कार्यालय द्वारा भी किया गया है। जिसके क्रम में जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति द्वारा उपरोक्त पत्रावली पर भुगतान हेतु संस्तुति की गई एवं आई0एस0ए0 को आवंटित शेष 06 कलस्टर में किये गये कार्यों की बीजक भुगतान हेतु पत्रावली विकास खण्ड स्तर से ए0डी0ओ0(पंचायत) एवं खण्ड विकास अधिकारी के सह–हस्ताक्षर से अग्रसारित के उपरान्त अधिशासी अभियन्ता जल निगम(ग्रामीण), कार्यालय एवं डी0पी0एम0यू0 कार्यालय से आई0एस0ए0 कोऑडिनेटर, पी0एम0 फाइनेन्स एवं डिस्ट्रिक्ट कोऑडिनेटर के सत्यापन उपरान्त समिति में प्रस्तुत कराने हेतु अधिशासी अभियन्ता जल निगम(ग्रामीण) को निर्देशित किया गया। उपरोक्त के मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा संस्थाओं से इम्प्लीमेंटेशन फेज अर्न्तगत करायी जाने वाली गतिविधियों के सम्बन्ध में पूछने पर किसी भी संस्था के प्रतिनिधि द्वारा स्पष्ट उत्तर ने देने के फलस्वरूप नाराज़गी व्यक्त की एंव कठोर निर्देश दिये कि संस्थाये उनके द्वारा कराये जाने वाले कार्यो से भलिभाती परीचित हो ले एवं निर्धारित आर0 एफ0 पी0 के अनुरूप कार्य कराये। अन्यथा की दशा मे संस्थाओ के विरूद्व कार्यवाही हेतु सूचना शासन प्रेषित कर ही जायेगी। साथ ही निर्देश दिये कि माह जुलाई 2024 के प्रथम सप्ताह में किसी भी दिन समस्त संस्थाये उनके द्वारा कराये जाने वाले इम्प्लीमेंटेशन फेज की गतिविधियों का प्रस्तुतीकरण महोदय के समक्ष करेंगें।

कार्यवाही– अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण)/समस्तआई0एस0ए0/डी0पी0एम0यू0।

3. टी0पी0आई0 के कार्यों की स्थिति :–

सदस्य सचिव/अधिशासी अभियन्ता उ0प्र0 जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम अन्तर्गत ग्राम पंचायतों में निर्माणाधीन अथवा निर्मित की जाने वाली योजनाओं के कार्यो को गुणवत्ता पूर्वक कराने हेतु शासन द्वारा थर्ड पार्टी इन्सफेक्शन एजेन्सी के रूप में **मेसर्स मेधज टेक्नो कान्सेप्ट प्रा0लि0 लखनऊ** नामित है। योजनाओ में कार्यो की गुणता सुनिश्चित करने हेतु संस्था के इंजीनियर द्वारा नियमित

Scanned with OKEN Scanner

निरीक्षण में पायी गयी कमियों को कार्यदायी फर्मों के माध्यम से सही कराते हुए आख्या प्राप्त की जाती है। एवं कृत कार्यो के प्रत्येक बीजक की संयुक्त निरीक्षण कर देय भुगतान की कार्यवाही की जाती है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि प्रत्येक दशा में निर्माणाधीन सतही स्रोत आधारित पेयजल योजना के कार्यो को गुणता पूर्वक कराना सुनिश्चित करें।

कार्यवाही– अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण)/मेसर्स मेघज/समस्त कार्यदायी फर्म।

4. संस्था स्वजन फाउण्डेशन द्वारा कराये जा रहे कार्यों की स्थिति :–

सदस्य सचिव/अधिशासी अभियन्ता उ0प्र0 जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, लखनऊ के पत्रांक सं0 3917/JJM/PRI/TRAINING/Vol-1/2020-21 दिनांक 03 फरवरी 2022 द्वारा संस्था स्वजन फाउण्डेशन, लखनऊ को जनपद बलिया के प्रत्येक राजस्वग्राम से 05 महिलाओं को जल गुणवत्ता जांच प्रशिक्षण तथा 13 तकनीकी कार्मिकों के प्रशिक्षण की कार्यवाही पूर्व में की गयी थी। परन्तु संस्था द्वारा एफ0टी0के0 किट के माध्यम से जल गुणवत्ता जांच प्रशिक्षण सम्बन्धित कार्यवाही समुचित ढंग से न किये जाने फलस्वरूप अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, लखनऊ के पत्रांक सं0 819/JJM/PRI/TRAINING/Vol-1/2020-21 दिनांक 08 मई 2023 एवं 818/JJM/PRI/ TRAINING/Vol-1/2020-21 दिनांक 08 मई 2023 के माध्यम से पुनः समस्त राजस्व ग्रामों में अभियान चलाकर एफ0टी0के0 प्रशिक्षण कार्यक्रम में पानी जांच में अक्षम प्रशिक्षित महिलाओं को एफ0टी0के0 किट के माध्यम से जल गुणवत्ता जांच प्रशिक्षण देने के साथ ही जांच के परिणाम WQMIS पोर्टल पर अपलोड कराये जाने के निर्देश संस्था को दिये गये थे। जिसके क्रम में संस्था द्वारा चयनित महिलाओं के प्रशिक्षण की कार्यवाही पूर्ण कराते हुये सूचना WQMIS पोर्टल पर अपलोड की जा चुकी है। कृत कार्यो के अभिलेख कार्यालय में सत्यापन हेतु विगत माह प्रस्तुत किये गयें हैं। मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि पत्रावली में प्रस्तुत अभिलेखों का सत्यापन विकास खण्ड स्तर से खण्ड विकास अधिकारी के हस्ताक्षर से अग्रसारित के उपरान्त अधिशासी अभियन्ता जल निगम(ग्रामीण), कार्यालय के जू0इं0/स0अभि0 एवं डी0पी0एम0यू0 कार्यालय से सी0बी0 एण्ड टी0 कोऑडिनेटर एवं डिस्ट्रिक्ट कोऑडिनेटर के सत्यापन उपरान्त पत्रावली अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में प्रस्तुत करें।

सदस्य सचिव/अधिशासी अभियन्ता उ0प्र0 जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, लखनऊ के पत्रांक सं0 4570/WQIC/2023-24 दिनांक 18 फरवरी, 2024 एवं पत्रांक सं0 5389/WQIEC/2023-24 दिनांक 15 मार्च, 2024 द्वारा संस्था स्वजन फाउण्डेशन, लखनऊ को जनपद बलिया में W.Q.I.E.C. की 05 एवं 08 गतिविधिया कराये जाने के निर्देश है जिसमें प्रथम चरण की 05 गतिविधियों का कार्य प्रारम्भ करने हेतु रोस्टर संस्था से प्राप्त कर निर्गत किया जा चुका है। जिस पर मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि आवंटित कार्यो का समापन समुचित ढंग से कराने के साथ–साथ कार्यो के अभिलेखों का प्रस्तुतीकरण तदानुसार कराये, अन्यथा की दशा में त्रुतिपूर्ण अथवा भ्रामक सूचना पाये जाने पर संस्था के विरूद्ध कार्यवाही एवं ब्लैक लिस्टिंग हेतु शासन को सूचना प्रेषित कर दी जायेगी।

कार्यवाही– अधि0 अभि0, जल निगम /जिला समन्वयक, डी0पी0एम0यू0/संस्था स्वजन फाउण्डेशन।

5. मेसर्स प्योर लाईफ सोसायटी द्वारा कराये जा रहे कार्यों की स्थिति :–

सदस्य सचिव/अधिशासी अभियन्ता उ0प्र0 जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन कार्यालय के पत्रांक सं0 3949/W-314/JJM/Outdoor Agency Empanelment/2022-23 दिनांक 15 दिसम्बर 2023 के क्रम में जल जीवन मिशन अन्तर्गत राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा इम्पैनल्ड/सूचीबद्ध एजेन्सी के माध्यम से जनपद/विकास खण्ड/तहसील/ग्राम पंचायत एवं राजस्व ग्राम स्तर पर एल.ई.डी./होडिंग एवं अन्य आई.ई.सी. गतिविधियों के माध्यम से जनमानस में जन–जागरूकता कार्यक्रम/गतिविधियों के कार्यों को कराने हेतु जनपद की नामित **संस्था मेसर्स प्योर लाइफ** द्वारा विकास खण्ड, तहसील, ग्राम पंचायत, एवं राजस्व ग्राम स्तर पर एल.ई.डी./होडिंग एवं अन्य आई.ई.सी.

Scanned with OKEN Scanner

गतिविधियों के माध्यम से जनमानस में जन–जागरूकता कार्यक्रम/गतिविधिया के कार्य पूर्ण कराये जा चुके हैं। अतः जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन समिति द्वारा संस्था के बीजक भुगतान की कार्यवाही में संस्था द्वारा आई0ई0सी0 एक्टिविटी के कार्य समाप्ति के उपरान्त पत्रावली में प्रस्तुत अभिलेखों का सत्यापन पंचायत सचिव, आंगनबाडी एवं लेखपाल द्वारा कराते हुये विकास खण्ड स्तर से ए0डी0ओ0(पंचायत) एवं खण्ड विकास अधिकारी के सह–हस्ताक्षर से अग्रसारित के उपरान्त अधिशासी अभियन्ता जल निगम(ग्रामीण), कार्यालय के जू0इं0/स0अभि0 एवं डी0पी0एम0यू0 कार्यालय से सी0बी0 एण्ड टी0 कोऑडिनेटर एवं डिस्ट्रिक्ट कोऑडिनेटर के सत्यापन उपरान्त ही पत्रावली पर अग्रेतर कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।

कार्यवाही– अधि0 अभि0, उ0प्र0 जल निगम/जिला समन्वयक, डी0पी0एम0यू0/संस्था प्योर लाईफ सोसायटी।

6. जनपद में पूर्व निर्मित/निर्माणाधीन योजनाओं के कार्य प्रगति एवं संचालन रखरखॉव की स्थिति :–

सदस्य सचिव/अधिशासी अभियन्ता उ0प्र0 जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में निर्माणाधीन योजनाओं को प्रत्येक दशा में माह सितम्बर 24 तक पूर्ण कर संचालित किया जाना लक्षित है। जिस पर खण्ड कार्यालय द्वारा कार्यवाही की जा रही है। उपरोक्त के अतिरिक्त अधिशासी अभियन्ता जल निगम(ग्रामीण), द्वारा पूर्व निर्मित योजनओं के समुचित संचालन के सन्दर्भ में समिति के समक्ष विचार विर्मश किया गया। मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि निर्माणाधीन योजनाओं को समय अन्तर्गत पूर्ण कराये एवं पूर्व निर्मित योजनाओं में स्थलीय निरीक्षण कराते हुये कार्यो को समय से पूर्ण न करने में लापरवाही बरत रहे ठेकेदारो पर कार्यावाही हेतु आगामी सप्ताह में एक बैठक विकास भवन में आयोजित कराने हेतु अधिशासी अभियन्ता उ0प्र0 जल निगम को निर्देशित किया गया।

कार्यवाही– अधि0 अभि0, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण)/समस्त कार्यदायी फर्म।

7. योजनाओं अन्तर्गत कराये जा रहे वितरण प्रणाली के कार्यो में क्षतिग्रस्त रोड एवं मरम्मत की स्थिति :–

सदस्य सचिव/अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि, जनपद बलिया में जल जीवन मिशन कार्यक्रम अन्तर्गत कार्यदायी फर्मो मेसर्स ईगल इन्फ्रा इण्डिया लिमिटेड जे0वी0 मेसर्स सुधाकरा द्वारा विकास खण्ड– मुरली छपरा, बैरिया, बेलहरी, रेवती एवं बांसडीह, फर्म मेसर्स लारसेन एण्ड टूब्रो द्वारा विकास खण्ड–दुबहड, हनुमानगंज, बेरूआरवारी, गडवार, सोहॉव, चिलकहर एवं रसडा एवं फर्म मेसर्स गाजा जे0वी0 जी0ए0 इन्फ्रा द्वारा विकास खण्ड–मनियर, पन्दह, नवानगर, नगरा एवं सीयर में योजनाओं की रॉ–वाटर राइजिंग मेन, क्लीयर वाटर फीडर मेन एवं समस्त ग्राम पंचायतों की वितरण प्रणाली का कार्य कराया कराया जा रहा है। उपरोक्त वितरण प्रणाली कार्यस्थल की आवश्यकता के अनुसार पक्की सड़क (सी0सी0/खड़ंजा/बिटुमिन/टाइल्स) अथवा कच्ची पटरी पर बिछायी जा रही है। जिसके पुनर्स्थापन का कार्य सम्बंधित कार्यदायी फर्म द्वारा स्वयं कराया जा रहा है। योजनाओं अन्तर्गत बिछाई जाने वाली विभिन्न वितरण प्रणालियों में रोड कटिंग एवं पुर्नस्थापन हेतु प्रमुख सचिव महोदय, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के शासनादेश सं0 3498/छिहत्तर–1–2023 दिनांक 22.09.2023 के साथ संलग्न प्रबन्ध निदेशक महोदय उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) के पत्र सं0 1110/011–रोड पुर्नस्थापन/23 दिनांक 06.07.2023 एवं मुख्य सचिव महोदय के शासनादेश सं0 61/2022/3393/छिहत्तर– 1–2022–21 सम/2022 दिनांक 03.10.2022 के क्रम में तदानुसार सम्बन्धित विभाग को संसूचित करते हुए राइजिंग मेन/फीडर मेन/वितरण प्रणाली बिछाने के कार्य एवं क्षतिग्रस्त सडक के मरम्मत के कार्य कराये जाने हेतु खण्ड कार्यालय के विभिन्न पत्रों द्वारा पूर्व में सम्बन्धित फर्मो को सूचित किया गया है। उपरोक्त कार्यो में सम्बन्धित विभाग को समय से रोड कटिंग एवं उक्त की मरम्मत से संसूचित किये जाने के दृष्टिगत फर्मो से समुचित प्लान प्राप्त करने हेतु लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग अथवा अन्य कार्यालयों द्वारा निर्मित/निर्माणाधीन सडकों की सूची की आवश्यकता है। जो सम्बन्धित विभाग से अप्राप्त है।

अधिशासी अभियन्ता लो0 नि0 वि0 प्रान्तीय खण्ड द्वारा अवगत कराया गया कि सम्बन्धित फर्मो द्वारा योजनाओं अन्तर्गत विछाये जाने वाली वितरण प्रणाली के कार्यो में उपरोक्त आदेशों का अनुपालन नहीं कराया जा रहा है। वर्तमान में लोक निर्माण विभाग एवं ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग से फर्मो द्वारा समन्वय स्थापित न किये

Scanned with OKEN Scanner

जाने के कारण रोड़ कटिंग की सूचना के समय से संसूचित न किये जाने के कारण कार्यदायी फर्मों के अधीनस्थ सब कान्ट्रेक्टरों द्वारा मनमाने ढंग से वितरण प्रणाली का कार्य कराये जा रहे हैं एवं पक्की सड़क के निकट कच्ची पटरी उपलब्ध होने के बावजूद भी रोड़ कटिंग एवं उक्त की समय से मरम्मत न किये जाने की सम्बन्धित विभाग से शिकायतें प्राप्त हो रही है।

मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा जनपद में समस्त विकास खण्डों में लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग अथवा अन्य विभाग द्वारा निर्मित/निर्माणाधीन सड़कों की सूची एवं प्रत्येक निर्मित सड़क का मानक अतिशीघ्र उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण) कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग को इस आशय के साथ निर्देश दिये गये कि कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण) को सूची उपलब्ध कराने के साथ समन्वय स्थापित करते हुये जल जीवन मिशन अन्तर्गत पेयजल योजनाओं के कार्यो एवं उक्त में क्षतिग्रस्त सडकों के मरम्मत कार्यो को फर्म के माध्यम से ससमय पूर्ण करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें।

कार्यवाही— अधिशासी अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण)/समस्त कार्यदायी फर्म/लो0नि0वि0।

बैठक के अन्त में जिलाधिकारी महोदय द्वारा जल जीवन मिशन अन्तर्गत जनपद में निर्माणाधीन योजनाओं में काटी गयी सड़कों पर पुर्नस्थापन, अवशेष आवश्यक सड़कों को काटने हेतु सम्बन्धित विभाग को समय से ससूचित किये जाने, योजनाओं के अवशेष कार्यो को यथाशीघ्र प्रारम्भ कराने के साथ—साथ कृत कराये जा रहे कार्यो में तेज़ी लाने हेतु सभी विभागो एवं कार्यदायी फर्मो को निर्देश दिए। उक्त के अतिरिक्त महोदय द्वारा जनपद में जल जीवन मिशन अन्तर्गत कार्यरत टी0पी0आई0, आई0एस0ए0, आई0ई0सी0 आदि संस्थाओं के कार्यों पर समुचित पर्यवेक्षण करते हुए आवंटित कार्यो को समयान्तर्गत पूर्ण कराने के निर्देश दिये।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

05/07/2024

(ओजस्वी राज)
मुख्य विकास अधिकारी/उपाध्यक्ष,
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
बलिया

पृ0सं0: 618 / बैठक / 13 दिनांक: 05 / 07 /2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, किसान बाजार, गोमती नगर, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी महोदय, बलिया।
3. मुख्य राजस्व अधिकारी, बलिया।
4. प्रभागीय वनाधिकारी, बलिया।
5. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), बलिया।
6. अधिशासी अभियन्ता, प्रतीय खण्ड/निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, बलिया।
7. जनपदीय टीम लीडर, मेसर्स मेधज टेक्नो कान्सेप्ट प्रा0लि0 लखनऊ।
8. जिला समन्वयक, प्रोजेक्ट मॉनीटरिंग यूनिट, बलिया।
9. समस्त आई0एस0ए0 बलिया।
10. जनपदीय टीम लीडर, स्वजन फाउण्डेशन, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
11. जनपदीय टीम लीडर, मेसर्स प्योर लाईफ, अमरावती, महाराष्ट्र।

मुख्य विकास अधिकारी/उपाध्यक्ष,
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
बलिया

Scanned with OKEN Scanner